फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री सतीश चन्द्र पालीवाल निवासी शुगर फेक्ट्री के पास चारभुजा, तहसील गढबोर जिला राजसमन्द

– अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

– रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार **पत्रावली संख्या** 27/2019

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 11.07.2019 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द के पत्रांक एफ.1( )सू0अ0,05/2019/507–508 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 12.04.2019 का सूचना का अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय/अनुभाग को दिनांक 16.04.2019 को प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन पत्र से चाही गई वर्णित वांछित सूचना **प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग** की होने से इस अनुभाग के जरिये पत्रांक क्रमांकःप.1( )सू0अ0.05/2019/338 दिनांक 22.04.2019 को प्रेषित किया गया। प्रार्थी/अपीलान्ट के द्वारा आवेदन पत्र में चाही गयी सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक 1242 दिनांक 10.05.2019 से इस आशय की सूचना भिजवाई गई कि ''प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दुओं में चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख की हूबहू प्रति/सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। उक्त अधिनियम में प्रश्नों के रूप में वांछित सूचना दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है,'' अतः प्रार्थी को चाही गई सूचना दिया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी को सूचना से वंचित करना भी समुचित नहीं होगा। प्रार्थी चाहे तो अपने हितबद्ध की वह सूचना जिसकी उसे आवश्यकता हो का स्पष्ट विवरण मय पत्रावली क्रमांक दिनांक अंकित करते हुए आवेदन करे तो सूचना तक पहुंच बनाई जाकर सूचना उपलब्ध करवाई जा सकती है। उक्तानुसार इस अनुभाग के जरिये पत्रांक प.1( ) सू0अ0,05 /2019/378 दिनांक 13.05.2019 से प्रार्थी अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है। - अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांकः–राम/रीट/ 1536/03/ 2789–2820 दिनांक 19.09.2007 की अनुपालना में नगरपरिषद राजसमन्द एवं पटवार मण्डल गढबोर मे की गई कार्यवाही की सत्यापित प्रतिया जिस अनुरूप मे संधारण की गई है उस अनुरूप मे उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है।	

लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या यह स्पष्ट हैं कि प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूओं की सूचना प्रश्नात्मक होने से उसे यह अवगत करा दिया गया कि उक्त अधिनियम,2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख की हूबहू प्रति/सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। उक्त अधिनियम में प्रश्नों के रूप में वांछित सूचना दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रार्थी को चाही गई सूचना प्रश्नात्मक होने से दिया जाना संभव नहीं हैं।

प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा दिनांकः 11.07.2019 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से ईशतदुआ की गयी कि मुझे राजस्व मण्डल, अजमेर के पत्र दिनांकः 19.09.2007 की अनुपालना में नगर परिषद,राजसमंद एवं पटवार मण्डल गढ़बोर में कीं गयी कार्यवाही की सत्य प्रतियां जिस रुप में संधारित हैं उस अनुरुप उपलब्ध करवाई जावें। प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचना से वंचित किया जाना भी समुचित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग व प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व मण्डल, अजमेर के पत्र दिनांकः 19.09.2007 की अनुपालना में यदि मण्डल को रिपोर्ट भिजवाई गई हो या नही भिजवाई गई हो कि सूचना से प्रार्थी अपीलार्थी को 21 दिवस में अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार सूचना अपिलार्थी को उपलब्ध करवाई जावे।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द तथा प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग व प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अनुभाग कार्यालय हाजा को भिजवायी जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)